

वन विभाग, हरियाणा सरकार,  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244 / 44  
सेवा में

दिनांक : 10/04/2024

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,  
हिसार।

विषय : Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. Forest land already diverted for access to Retail outlet (Petrol Pump) Khasra NO. 161//13 at Villlage Lohani on Bhiwani Loharu Road (NH-709B), Km. 136-702(RHS), under forest Division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/OTHERS/150474/2021

संदर्भ : इस कार्यालय का क्रमांक 2986 दिनांक 01-03-2024।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि प्राथी श्री मनीराम सरोहा के द्वारा प्रस्तुत शिकायत का पत्र दिनांक 08.01.2024 (प्रति संलग्न) में वर्णित तथ्यों पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अतः आपको लिखा जाता है कि शिकायत पत्र का पूर्ण अवलोकन करने उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी शीघ्र प्रेषित करें :-

1. क्या प्रार्थी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलाई किए गए दोनों प्रस्तावों 48019/2020 तथा 150474/2021 में Diversion Forest Area भिन्न है?
2. प्रस्ताव संख्या 150474/2021 में ऑनलाईन भरे गए Part-I तथा II को मौके अनुसार Verify करके Fresh Recommendation CCF/DFO द्वारा भेजी जाए।
3. क्या यह प्रस्ताव rediversion की Category में आता है ?
4. क्या प्रस्ताव में लगाई गई सी0ए0 स्कीम FCA Guideline के अनुसार ठीक है ?
5. भारत सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 29.07.2022 को लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी द्वारा भेजे गए जवाब से सम्बन्धित तथ्यों को भी जाँच में शामिल किया जाए।

इसके अतिरिक्त आपके कार्यालय द्वारा वर्तमान संस्तुति भी प्रस्तुत करें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न/उपरोक्त।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244 / 45

दिनांक : 10/04/2024

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, भिवानी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकुला।

13886  
16/11/24

श्री श्री कांशुक

10244  
Bhiwani

दिनांक 3/01/2024

✓ सेवा में,

1. श्रीमान श्री जगदीशचन्द्र जी, आई.एफ.ओ (नाम द्वारा)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा  
वन विभाग हरियाणा सरकार, मुख्यालय संख्या-6 पंचकुला

2. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
हरियाणा पंचकुला।

PCCF  
CFCR

विषय - Diversion of 0.0019 Ha. Of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 Ha. Forest land already diverted for access to retail outlet khasra no. 161/13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road NH-709E km 136.702 (RHS) tehsil district Bhiwani proposal no. PP/HR/Approach/150474/2021.

AE (FC)  
15/1

उपरोक्त विषय बारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा डी-3/10244/3068 दिनांक 25-1-2023, आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा डी.तीन-10211/2339 दिनांक 28-10-2022, वन मंडल अधिकारी भिवानी कार्यालय के पत्र क्रमांक 1067 दि. 16/11/2022, यूजर एजेसी/सुनील सरोहा के दिनांक 15/12/2022 एवं वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार के पत्र क्रमांक FCA/1690 दिनांक 22-11-2023 के सन्दर्भ में प्रेषित है।

Supdt (FC)  
15/1

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 16-11-2022 को आपको रिपोर्ट भेजी गयी थी वह उचित नहीं है, सही नहीं है, तथ्यों के आधार पर नहीं है सरासर झूठी और गलत है। आपको ध्यान दिलाया जाता है कि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु वन विभाग हरियाणा से अनुमति /अनापत्ति पत्र पहले ही लिया हुआ है जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिए मैंने 284 वृक्षों के पौधारोपण CA (compesatory afforestation) के लिए रूपए कम्पा फण्ड में पहले ही जमा किये हुए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। एक नीम का पेड़ जो 11.5 मीटर में इग्रेस बनाई गयी है इस मार्ग में बाधक बना हुआ है इसके कारण कई बार ट्राले पेड़ से टकराते हुए चार दिवारी से टकराकर दीवार तोड़ चुके हैं। इसके पुनः निर्माण पर लगभग एक लाख रूपए लागत आ चुकी है। यहाँ पर दर्शाया जाता है कि इस बाधक पेड़ के कारण कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। जान-माल का नुकसान हो सकता है कोई बड़ी गाडी ट्राला पेड़ से टकराकर नाले में गिर सकता है। इस लापरवाही का जिम्मेदार भविष्य में वन विभाग हरियाणा होगा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वन विभाग हरियाणा करेगा। इस सम्बन्ध में बाधक नीम का पेड़ कटवाने कि अनुमति के लिए यूजर एजेसी /प्रार्थी द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2021 को डी.एफ.ओ. भिवानी तथा वन रेंज अधिकारी भिवानी को पत्र पत्र दिया था जिसकी प्रति संलग्न है। इन पत्रों को डी.एफ.ओ. भिवानी ने लगभग 40 दिन लंबित रखा। यह पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति के डीलर को अलाट किया हुआ है। इस प्रकार के पम्पों का कुछ भाग डीलर तथा कुछ भाग IOCL द्वारा बनाया जाता है। पम्प के फ्रंट रोड कि तरफ इन्ग्रेस व इग्रेस बनाये जाते हैं, जिसमे से साधन अन्दर व बहार जाते हैं। वर्षा में रोड पर तथा पम्प पर जल भराव ना हो इसलिए ओपन ड्रेन (नाला) बनाया जाता है जो सभी पम्पों पर है तथा NHA कि हिदायतों के अनुसार बनाया जाता है। यह ओपन ड्रेन हर पम्प के मूलभूत नक्शे में

DH went  
15.1.24

पृष्ठ 1 से 30 तक संलग्न है।

MR Saroha

1  
[Signature]

होता है | यह सभी पेट्रोल पम्प पर लागू है इसके लिए अलग से NOC नहीं लेनी होती | इन्ग्रेस इग्रेस तथा नाले का निर्माण तेल निगम (IOCL) द्वारा किया जाता है | निगम ने इस काम का ठेका अपने ठेकेदार को दिया हुआ था | काफी देर काम रुकवाने से ठेकेदार परेशान था उसने पम्प में प्रवेश और बाहर जाने का रास्ता बना दिया और नाले का निर्माण का कार्य भारत सरकार के नियमानुसार बनवाना शुरू किया , बाधक नीम का पेड़ नाले के बीच और इग्रेस के रास्ते में आता है | पेड़ के कारण काम बंद हो गया | डी.एफ.ओ. द्वारा पेड़ कटवाना चाहिए था परन्तु डीलर को अनुसूचित जाती का समझकर कमजोर समझकर पेड़ नहीं कटवाया, नाला नहीं बनने दिया | काम बंद करने का दिनांक 12/11/2021 को नोटिस दिया गया जिसकी फोटो संलग्न है | यह नोटिस बिल्कुल नाजायज, सरासर गलत था क्योंकि इस रोड NH-709E पर भिवानी से लोहारू पर अनेक पेट्रोल पम्प पहले बने हुए हैं सभी के फ्रंट में इसी नियम से नाले बने हुए हैं सभी के फ्रंट में इसी नियम से नाले बने हुए हैं किन्तु किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है केवल हमें S.C. समझकर हमारा काम बंद करवाया गया, हमें प्रताड़ित किया गया, गाली गलोच कि गयी, जाति सूचक शब्द कहे गये, ऑफिस में धमकाया गया, हाथा-पाई करने की कोशिश भी की गयी | हमें यह करके आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया गया तथा शोषण किया गया , तथा अतिक्रमण का आरोप गलत लगाया है | इन कारणों से तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी जतिन्द्र कुमार अहलावत, तत्कालीन रेंजर ओमप्रकाश पिलानिया, तथा तत्कालीन डीलिंग हैण्ड करतार सिंह के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अभियोग दर्ज करवाकर उनको सजा दिलवाने की कृपा करें |

उक्त नोटिस बारे दिनांक 24-11-2021 को प्रधान मुख्य संरक्षक वन अधिकारी वन विभाग हरियाणा पंचकुला को नोटिस के प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण देकर नोटिस रद्द करवाने के लिए अपील की गयी | सभी फोटोप्रति संलग्न हैं इस पर कार्यवाही करते हुए PCCF महोदय के द्वारा इस मामले के समाधान हेतु CCF रोहतक कि अध्यक्षता में तीन सदस्यों कि एक कमेटी बनाई गयी तथा मामले का निपटान करके रिपोर्ट वन मुख्यालय पंचकुला को भेजने के आदेश दिए गये | श्रीमान जी आपका ध्यान दिलाया जाता है कि कमेटी कि मीटिंग दिनांक 15-12-2021 को पम्प साईट पर मीटिंग हुई | इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने अपनी देखरेख में इग्रेस कि नियमानुसार नपाई कि इससे एक पेड़ नीम नम्बर 173 इग्रेस (रास्ते) के बीच में पाया गया और डीलर द्वारा इस पेड़ को कटवाने से रोकने बारे कोई सबूत/प्रमाण नहीं पाया गया | इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री एम.एल.राजवंशी जी आई.एफ.एस., CCF रोहतक ने स्वयं निर्णय लिया कि उक्त पेड़ इग्रेस में आता है इसकी यूजर एजेंसी ने पहले ही NOC/अनुमति ली हुई है यह पेड़ कटवाना जायज़ बनता है | इस निर्णय से कमेटी के सदस्य डी.एफ.ओ. इज्जर और डी.एफ.ओ. भिवानी सहमत थे फिर भी डी.एफ.ओ. भिवानी ने अनावश्यक व निराधार तर्क देकर मामले को उलझाने का प्रयास किया मीटिंग में मामले बारे पूर्ण विचार विमर्श हुआ CCF रोहतक ने निर्णय सुनाया कि यूजर एजेंसी ने वन विभाग में C.A. के लिए रूपए 633674/- कम्पा फण्ड में पहले जमा करवाए हुए हैं अब केवल ओपन ड्रेन बनने वाले स्थान कि वन भूमि प्रयोग करने तथा एक बाधक नीम पेड़ कटवाने कि स्वीकृति लेनी होगी इस पर C.A. स्कीम लागू नहीं होगी क्योंकि ओपन ड्रेन निर्माण व पेड़ पेट्रोल पम्प प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है | C.A. कम्पा में जमा करवाकर

MPAM

MR. Sacha

NOC ली हुई है | ओपन ड्रेन निर्माण हेतु वन विभाग कि भूमि व पेड़ कटवाने कि स्वीकृति हेतु यूजर एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन व फाइल वन विभाग हरियाणा पंचकुला को देना होगा - आदेश कि पालना करते हुए यूजर एजेंसी द्वारा दिनांक 24/12/2021 को ऑनलाइन आवेदन किया गया तथा दिनांक 30/12/2021 को फाइल डी.एफ.ओ. वन विभाग भिवानी कार्यालय में प्रस्तुत की गयी जिसकी प्राप्ति कि छाया प्रति संलग्न है | श्रीमान जी इस फाइल कि कार्यवाही के बारे में आपका ध्यान दिलाया जाता है कि तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी श्री जितेंदर कुमार अहलावत ने एक साजिश के तहत तत्कालीन डीलिंग हेड श्री करतार सिंह से पूर्व में ली गयी NOC कि छाया प्रति, प्रोजेक्ट का नक्शा तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रिपोर्ट फाइल से खुरद-बुर्द करके स्वीकृति हेतु रिपोर्ट बनाई जो सरासर निराधार व गलत थी | इस रिपोर्ट में ओपन ड्रेन निर्माण हेतु जमीन व पेड़ काटने स्वीकृति हेतु बनाये गये प्रस्ताव में फिर से C.A. स्कीम लगाकर रूपए 344853/- लागत बनाकर डी.एफ.ओ. भिवानी वन विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 1145 दिनांक 18-1-2022 द्वारा CCF हिसार को भेजी गयी थी | इस रिपोर्ट बारे डीलर को वन विभाग भिवानी कार्यालय से जानकारी मिली इस पर बड़े चकित हुए सरकारी अधिकारी फाइलों से दस्तावेज खुरद-बुर्द करते हैं | उच्च अधिकारियों के निर्णय व आदेश कि अवहेलना के जाति-पाती भेद भाव करके कमजोरी का फायदा उठाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर शोषण व अत्याचार करते हैं रिपोर्ट कि छाया प्रति संलग्न है | उपरोक्त असंगत रिपोर्ट पर प्रार्थी ने आपति लगाते हुए CCF हिसार को दिनांक 24-1-2022 को लिखित में शिकायत पत्र प्रस्तुत करके मामले का पेट्रोल पम्प साईट पर मौका देखकर निरिक्षण किया जाए व डी.एफ.ओ. भिवानी कि असंगत रिपोर्ट में संशोधन करके C.A. हटाकर रिपोर्ट बनवाकर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाने कि कृपा करें | पत्र कि छाया प्रति संलग्न है |

इस अनुरोध पर दिनांक 27/1/2022 को CCF हिसार मौके पर आये और डी.एफ.ओ. भिवानी को मौके पर बुलाकर निरिक्षण किया | इस दौरान CCF हिसार श्री अतुल सिरसेकर जी ने जितेंदर कुमार अहलावत कि रिपोर्ट को सरासर गलत बताया तथा उसमे संशोधित प्रस्ताव लागत रूपए 21543/- बनवा कर CCF कार्यालय से दिनांक 31/1/2022 को वन विभाग हरियाणा मुख्यालय में फाइल प्रस्तुत की गयी | इस रिपोर्ट कि प्रति संलग्न है मुख्यालय से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्रीय मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर-31 चंडीगढ़ भेजी जानी थी इस दौरान जितेंदर कुमार अहलावत डी.एफ.ओ. भिवानी ने तालमेल करके डीलिंग हैण्ड करतार सिंह पर दबाव डालकर फिर से नोटिंग में गलत लागत रूपए 344853/- लिखवाकर सम्बंधित केन्द्रीय कार्यालय भेजी गयी है | इस रिपोर्ट पर आपति लगाकर प्रार्थी ने दिनांक 7/7/2022 को प्रधान मुख संरक्षक वन विभाग हरियाणा पंचकुला तथा केन्द्रीय कार्यालय से रिपोर्ट पर रोक लगाकर संशोधन करके स्वीकृति देने का अनुरोध किया था | इसकी प्रति संलग्न है इस पर केन्द्रीय कार्यालय फाइल न. 9-HRB 151 /2022 - CHA दिनांक 29-7-2022 द्वारा नोडल ऑफिसर एवं अति प्रधान मुख्य संरक्षक (FCA) वन विभाग हरियाणा पंचकुला मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी गयी | इसके सम्बन्ध में नोडल ऑफिसर ने CCF हिसार के माध्यम से वन मंडल अधिकारी भिवानी से रिपोर्ट गई, इस सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी भिवानी ने जो रिपोर्ट भेजी वह भी असंगत, निराधार, बेवुनियाद झूठी है | इस पर प्रार्थी ने आपति

*MPOM*

*MR Sakshi*

लगते हुए दिनांक 15/12/2022 को वन विभाग मुख्यालय और केन्द्रीय कार्यालय से रिपोर्ट संशोधित करके स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया था। इस पर केन्द्रीय कार्यालय ने वन विभाग हरियाणा पंचकुला से पुनः रिपोर्ट मांगी गयी। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में CCF हिसार वन मंडल अधिकारी भिवानी से रिपोर्ट मांगी है। इस सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी भिवानी कि रिपोर्ट के आधार पर वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार ने जो रिपोर्ट भेजी है वह निराधार, असंगत, तथा तोड़ मरोड़ कर, फाइल से रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करवाकर मनघडंत झूठी रिपोर्ट अधिकारी मैडम वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार द्वारा कोई जाँच पड़ताल नहीं कि गयी है तथा दोषियों से मिली भगत करके उनको निर्दोष बनाने का प्रयास किया है। डीलर द्वारा कोई भी काम गैरकानूनी नहीं किया गया है जो कार्य किया नियमानुसार किया गया है। ओपन ड्रेन निर्माण कार्य तेल निगम के ठेकेदार द्वारा करवाया गया है डीलर का इसमें कोई हाथ नहीं है फिर भी मैडम CCF हिसार परिमंडल ने डीलर को मुलजिम बताकर अपमानित किया है।

अतः इस मामले कि निष्पक्ष निर्णय के लिए कमेटी गठित करने कि कृपा करें तथा रिपोर्ट को संशोधित करके ओपन ड्रेन निर्माण हेतु भूमि देने तथा पेड़ कटवाने कि स्वीकृति देने के कृपा करें जी।

चण्डीगढ़ स्थित

प्रार्थी

Dated  
08/01/2024.

*(Handwritten Signature)*

मनीराम सरोहा

महासुख फिलिंग स्टेशन, लोहानी जिला भिवानी  
9501225240, 6283950630

उपरोक्त कि एक एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को आलग-अलग भेजा जा रहा है।

1. श्री केशवपाल सिंह गुर्जर जी, मन्त्री वन विभाग हरियाणा, सिविल सचिवालय हरियाणा संकर-1 चण्डीगढ़ (नाम द्वारा)
2. श्रीमान मुख्तार सचिव वन विभाग हरियाणा, सिविल सचिवालय हरियाणा संकर-1 चण्डीगढ़ (नाम द्वारा)
3. श्रीमान तकनीकी सचिव (वनीकी ग्रेड-1) (नाम द्वारा) 4  
IRO MOFF & CC चण्डीगढ़  
वजन 24-25 संकर-31 चण्डीगढ़।  
- 160030 -

*(Handwritten Signature)*

मनीराम सरोहा  
महासुख फिलिंग स्टेशन, लोहानी जिला भिवानी